भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1595

28 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: पीएमएफबीवाई में किसान-केंद्रित सुधार

1595. श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकरः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास इस तथ्य के संबंध में आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध हैं कि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत कार्यरत निजी बीमा कंपनियों ने पिछले नौ वर्षों (2016 से 2025) के दौरान देश भर से 73,630 करोड़ रुपये और अकेले महाराष्ट्र से 16,300 करोड़ रुपये का भारी मुनाफा कमाया है;

(ख) क्या सरकार इस मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए बीमा कंपनियों पर 'लाभ की सीमा' लगाने पर विचार कर रही है, क्योंकि ये कंपनियां अक्सर तकनीकी खराबी और जटिल नियमों का हवाला देकर किसानों के दावों को खारिज कर देती हैं या प्राकृतिक आपदाओं के दौरान केवल नाममात्र की सहायता प्रदान करती हैं;

(ग) फसल नुकसान के 72 घंटों के भीतर बीमा कंपनियों के लिए 'पंचनामा' (मौके पर मूल्यांकन) करना और अगले 15 दिनों के भीतर दावे की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा करना अनिवार्य बनाने के लिए नियमों में किए जा रहे सुधारों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा शर्तों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने और उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने के लिए क्या कड़े कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के प्रीमियम एवं दावों सहित कवरेज विवरण से संबंधित समस्त आंकड़े राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) पर उपलब्ध हैं। इन आंकड़ों में भुगतान किए गए प्रीमियम के साथ-साथ संवितरित दावे भी सम्मिलित हैं। बीमा कंपनियों के लाभ और/अथवा नुकसान से संबंधित आंकड़े पोर्टल पर नहीं रखे जाते हैं।

(ख): ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, खरीफ 2023 से एक वैकल्पिक जोखिम अंतरण तंत्र (ARTM) प्रारंभ किया गया है। ARTM में मानक PMFBY के अतिरिक्त 3 वैकल्पिक जोखिम अंतरण मॉडल उपलब्ध कराए गए हैं, अर्थात् कप एंड कैप मॉडल (80:110), कप एंड कैप मॉडल (60:130) तथा लाभ एवं नुकसान साझाकरण मॉडल, जिसके अंतर्गत निर्धारित सीमा से कम दावों की स्थिति में, सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में भुगतान किए गए प्रीमियम का भाग, मामले के अनुरूप राज्य कोष अथवा भारत की संचित निधि, में वापस चला जाएगा। इसके अतिरिक्त, निर्धारित सीमा से अधिक दावों की स्थिति में, केंद्र और राज्य द्वारा दावों का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

(ग) एवं (घ): स्थानीय आपदाओं की स्थिति में सर्वेक्षण किए जाने तथा किसानों के खाते में दावों के निपटान एवं सीजन के अंत में क्षेत्रगत दृष्टिकोण आधारित दावों सहित प्रत्येक गतिविधि के लिए समय-सीमा पहले से ही निर्धारित की जा चुकी है तथा इसे योजना के प्रचालन दिशा-निर्देशों में विधिवत उपबंधित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, PMFBY के अंतर्गत एकल फार्मों एवं भू-खंडों के लिए स्थानीय आपदाओं/फसलोपरांत होने वाली नुकसानों के लिए फसल नुकसान आकलन को सुव्यवस्थित करने तथा उसकी कुशलता में सुधार करने हेतु एक डिजिटल मोबाइल एप्लिकेशन के रूप में फसल नुकसान आकलन ऐप (CLAP) विकसित किया गया है। योजना के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए CLAP का उपयोग अनिवार्य किया गया है। स्थानीय आपदाओं की स्थिति में, बीमा कंपनी के सर्वेक्षक द्वारा बीमित किसान को सर्वेक्षण फॉर्म की विधिवत भरी हुई एवं हस्ताक्षरित प्रति दी जाती है।

दावों की गणना में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए, फसल कटाई प्रयोगों (CCE) के परिणामों को राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) पर अपलोड किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, बीमा कंपनियों को CCE के संचालन को देखने का भी निर्देश दिया गया है। PMFBY के अंतर्गत CCE नियमावली के प्रावधानों के अनुसार, CCE Agri App के माध्यम से किए गए CCE के परिणामों को, CCE का संचालन करने वाले संबंधित अधिकारियों, किसानों तथा CCE को देखने वाली बीमा कंपनियों के अधिकारियों के हस्ताक्षर सहित निर्धारित फॉर्म पर अंकित किया जाना अपेक्षित है।

योजना के प्रचालन दिशा-निर्देशों में दी गई समय-सीमा के अनुसार, प्रीमियम सब्सिडी प्राप्त होने के अध्यधीन, बीमा कंपनियों को राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) पर दावों की गणना की तारीख से 21 दिनों के भीतर दावों का निपटान करना होता है। उपर्युक्त समय-सीमा के अनुसार भुगतान न किए जाने की स्थिति में, खरीफ 2024 सीजन से NCIP के माध्यम से 12% का जुर्माना स्वतः गणना करके लगाया जाता है।
